अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 86/16-17

---

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री....वालेन्द्र कुमार वास्की.... वो अंचल निरीक्षक श्री ....राधेश्याम दास.... का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा....वहुआ.... ........ थाना नं0....692.... गैरमजरूआ खाता नं0 ....2418.... दाग नं0 ....32.... रकवा 02-16-18 किस्म....परती कदीम.... श्री ....मेघु रविदास.... पिता....बंगाल रविदास.... ... साकिन.................के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री ....मेघु रविदास.... को दिनांक....30/7/16.... समय ....11:00 Am.... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिंश निर्गत करें।

[signature] 21/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/7/16 अभिलेख उपस्थापित। मेघु रविदास पिता बंगाल रविदास के पुत्र ललिता देवी उपस्थित। उन्होने साक्ष्य के रूप में Return की छाया प्रति को समर्पित किया। उन्होने बताया की सम्पूर्ण भूमि E.C.L द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है वर्तमान में उसके दखल में जमीन नहीं है अतः अभिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें।

[signature] 30/7/16
अ० अ०

ललिता देवी

sandha

11/8/16 अभिलेख उपस्थापित। जमीरा देवी उपस्थित। दस्तावेज समर्पित। अभिलेख दिनांक 27/8/16 को रखें।

ह० 11/8/16
अ० अ०

जमीरा देवी

8/7/2020 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें।

अं०अ०
महागामा

05.01.2021 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन एवं साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया, प्रतिवेदनानुसार अवैध संदेहास्पद पंजी-II रैयत को भूमि सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ई० सी० एल० ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है।

अत: उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी
महागामा

अंचल अधिकारी
महागामा